2022/606

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम– ..... डीडवाना .....

प्रार्थी:– रामेश्वरपुरी पुत्र स्व0 चिमनपुरी उम्र 54 वर्ष जाति गसाई निवासी बाकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर हाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– सुरज पत्नि स्व0 चिमनपुरी जाति गुसाई निवासीगण बाकलिया तहसील लाडनूं हाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 238 सन्–.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30.09.2022	प्रार्थी रामेश्वरपुरी पुत्र स्व0 चिमनपुरी उम्र 54 वर्ष जाति गसाई निवासी बाकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर हाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण सुरज पत्नि स्व0 चिमनपुरी जाति गुसाई निवासीगण बाकलिया तहसील लाडनूं हाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद खाखोली के पुराने खसरा सं0 312 के वर्तमान में बुगालियों की ढाणी के खसरा सं0 126 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 17.10.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.9.2022 को आज पुनः निरस्त किया जाता है।

अप्रार्थीगण जरिये रजि./AD तलब होकर पत्रावली दिनांक 24/7/2024 को पेश हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

5/7/2024

प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वह प्रकरण को चलाना नहीं चाह रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर सुना गया व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

चूंकि प्रार्थी अपने प्रा. पत्र को चलाना नहीं चाह रहा है अतः इस स्वीकारोक्ति प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है।

पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर रिकॉर्ड दाखिल हो।

द. मोहनलाल पुत्र [illegible]

[signature]

द. प्रार्थी

Vikas

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner